फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम

शिवकंवर बनाम गीताकंवर

किस्म मुकदमा धा. 45 नं. 26 सन् 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु बी0 26-5-18 को पेश हो।	
28/5/18	पत्रावली न्याय आदेश बाद अभियान मु. कपासन हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने वाद क्रमांक 72/15 दिनांक 10-1-17 को हुए निर्णय की प्रति संलग्न नहीं की है प्रति संलग्न की जावे। पत्रावली वास्ते जवाब प्रति संलग्न के दिनांक 7-8-18 को विपक्षी स्वयं निर्णय प्रति के पेश हो।	
	07.08.2018 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है, किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई पर कोई वैद्य प्रतिनिधि हाजिर नही होने विपक्षीगणो के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है. प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 72/2015 दिनांक 10.01.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र	

प्रस्तुत हुआ है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौराने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.01.2017 को मौजूदा प्रार्थनापत्र से सम्बधित मूल वाद संख्या 72/2015 पंजीबद्ध था। किन्तु नियत सुनवाई दिनांक 10.01.2017 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थी/वादी पक्ष की और से कोई उपस्थित नही हो सके, क्यों कि नियत सुनवाई दिवस पर, चूंकि प्रार्थीया एक महिला है, उनके कई घरेलु आवश्यक कार्य होते है, उनकी प्रकरण में उपस्थिति की आवश्यकता नही थी, और मुझ अधिवक्ता को हाजिर होना था, किन्तु मेरे परिवार में आकस्मिक घरेलु कार्य आ जाने से मुझे मुझ अधिवक्ता को बाहर जाना पड गया और न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नही हो सका। प्रस्तुत वादपत्र गैरमनकुला जायदाद से संबन्धित होकर प्रार्थीया के हक अधिकारों का निर्धारण होना है, तथा वाद अदम हाजरी में खारिज हो जाने से वादीया न्याय प्राप्त करने से महरूम रह जावेगी। तथा प्रकरण अभी प्रांरभिक स्टेज पर ही विचारित था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त रहा है। इस कारण एंव आधार पर वादीया के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एंव आवश्यक है अन्यथा वादीया/प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 72/2015 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।

हमने प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 72/2015 का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हो सकने के हेतुक के तौर पर वादीया अधिवक्ता के परिवारिक आकस्मिक घरेलु कार्य आ जाने से अधिवक्ता को अन्यत्र कहीं बाहर जाना पडा, यह अवगत कराया। न्यायालय, हेतुक के तौर पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये गये कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त मानता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र संख्या

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहलकार जो हुक्म की तामील के वास्ते जारी हुए

72/2015 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व वादपत्र में नियत चरण से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा